



Comp No.: 36731

फा.11072-5(आंध्र प्रदेश)/2015-KVS(Admn.I)/ 2223-43

दिनांक: 26.02.2026

### कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 27.12.2024 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय, अनकापल्ली, जिला अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश (संसदीय क्षेत्र-अनकापल्ली) दिसंबर 2024 में स्वीकृत 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2026-27 से निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय, अनकापल्ली, जिला अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय विद्यालय, अनकापल्ली, जीवीएमसी प्राइमरी स्कूल, वूडपेटा, जिला अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश -531001

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भूमि एवं अस्थायी भवन के अधिग्रहण से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोत)

अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं.।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि. सं.।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं.।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
5. पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं.।

6. निजी सचिव, आयुक्त, के.वि. सं. ।
7. निजी सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92 ।
8. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा./शै°) के.वि.सं. ।
9. निदेशक(के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्त/प्रशिक्षण/कार्मिक), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ ।
11. संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय अनकापल्ली, जिला अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त, के.वि.सं. क्षे.का. हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.सं., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. उपायुक्त (आई.टी.) के.वि.सं. (मु.) को के.वि.सं. की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
17. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III) के.वि.सं. (मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
18. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु°), नई दिल्ली ।
19. अध्यक्ष/सचिव -के.वि.सं. की सभी मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल ।



## केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
Email: [adl.com.admn@kvs.gov.in](mailto:adl.com.admn@kvs.gov.in), Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 36731

F.No.11072-5(ANDR)/2015-Admn.I/ 2223-42

दिनांक 26.02.2026

### OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide Office-Order of even number dated 27.12.2024, conveyed the approval of Government of India, for establishing 85 new Kendriya Vidyalayas under Civil /Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya, Anakapalli, District Anakapalli, Andhra Pradesh in Parliamentary Constituency- Anakapalli** is one of the 85 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in December, 2024.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with effect from the session 2026-27 at the following location:

S. No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2026-27 at:
1.	<b>Kendriya Vidyalaya, Anakapalli, District Anakapalli , Andhra Pradesh</b>	<b>Kendriya Vidyalaya, Anakapalli, GVMC Primary School, Woodpeta, District Anakapalli, Andhra Pradesh-531001</b>

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed according to the schedule of admission prescribed for the academic year 2026-27 after completion of all pending formalities of taking over of land and temporary accommodation.

*Deepesh*

(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn.)

#### Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Hon'ble MoS (Education)-cum -Joint Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to the Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Govt. of Andhra Pradesh |

5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS.
6. PS to Commissioner, KVS.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
8. PS to Additional Commissioner (Admn/Acad), KVS.
9. The Director (KVS), MoE, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), KVS.
11. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
12. The Superintending Engineer, KVS Hqrs– for information & necessary action.
13. The Collector & District Magistrate, & Chairman, Vidyalaya Management Committee, Kendriya Vidyalaya, Anakapalli, District Anakapalli , Andhra Pradesh– for information .
14. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Hyderabad with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Director, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Deputy Commissioner (IT), KVS Hqrs with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/Estt.II/III), KVS Hqrs for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
19. President/ General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
20. Guard File.